

बिहार सरकार
निगरानी विभाग, बिहार, पटना।

तकनीकी निविदा की शर्त एवं उपबंध :—

1. निविदादाता को कम से कम तीन वर्ष तक केन्द्र/राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी संस्थान/निगम आदि में समान प्रकृति का कार्यानुभव होना अनिवार्य है।
2. निविदादाता फर्म/संस्थान GST के अंतर्गत निबंधित होना चाहिए।
3. निविदादाता निम्न कागजातों की स्वअभिप्रमाणित प्रति क्रमानुसार निविदा के साथ संलग्न करेंगे।
 - i. फर्म के GST निबंधन की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अद्यतन GST रिटर्न की कॉपी संलग्न करना होगा।
 - ii. फर्म के PAN कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
 - iii. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/निगम या किसी भी अन्य संस्थान द्वारा डिबार नहीं किये जाने एवं काली सूची में दर्ज नहीं होने का फर्म के मालिक द्वारा Notarized Affidavit.
 - iv. संस्थान द्वारा निविदा में दर्शाये गये सभी शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित स्वघोषणापत्र।
 - v. सभी पृष्ठों पर संस्थान का मुहर एवं हस्ताक्षर होना चाहिए।
 - vi. निविदादाता तकनीकी निविदा से संबंधित सभी कागजात एक लिफाफा में रख कर उसे सील बंद करते हुए लिफाफा के ऊपर "निगरानी विभाग में भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा" लिखेंगे एवं वित्तीय निविदा प्रारूप 'A' और प्रारूप 'B' में दर अंकित कर इसे एक दूसरे लिफाफा में रखकर सील बंद करते हुए लिफाफा के ऊपर "निगरानी विभाग में भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा" अंकित करेंगे। तत्पश्चात तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का अलग-अलग लिफाफा एक बड़े लिफाफा में डालकर उसे सील बंद करते हुए बड़े लिफाफा के ऊपर "निगरानी विभाग में वाहन आपूर्ति हेतु निविदा" अंकित करेंगे एवं बड़े लिफाफा के दाहिने तरफ पता उप सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना एवं बाँयी तरफ में फर्म का नाम अंकित करेंगे।
 - vii. निविदादाता सीलबंद निविदा इस तरह भेजेंगे कि प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय तक डाक प्राप्ति शाखा में निविदा प्राप्त हो जाए। अंतिम तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. EMD के रूप में 20,000/— का बैंक ड्रॉफ्ट, उप सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में देय होगा।
5. निगरानी विभाग के पास निविदा रद्द करने, नियम एवं शर्तों को बदलने एवं इस निविदा से संबंधित हर तरह के निर्णय लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।
6. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा पटना जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।
7. निविदा में सफल एजेन्सी को एक वर्ष के लिए चयन किया जायेगा एवं संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले एक-एक वर्ष के आधार पर दो वर्षों तक दोनों पक्षों की आपसी सहगति से अवधि विस्तार किया जा सकता है।

8. कार्य एकरारनामा के अनुरूप नहीं होने पर एजेन्सी को कालीकृत करने की कार्रवाई की जा सकती है।

वित्तीय निविदा की शर्तें :-

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदाताओं की वित्तीय निविदा खोलने पर विचार किया जायेगा। निविदादाताओं को Annex-A में वाहन का मासिक दर 1500 किलोमीटर प्रति माह (ईंधन एवं चालक सहित) without GST देना होगा तथा Annex-B में वाहन का दैनिक दर 200 किलोमीटर प्रतिदिन (ईंधन एवं चालक सहित) without GST देना होगा।
2. निविदा में L_1 दर का निर्धारण मासिक/प्रतिदिन के दर के आधार पर किया जायेगा, जिसमें अतिरिक्त किलोमीटर का दर L_1 उद्धृत करने वाले निविदादाता के दर को L_1 पर विचार नहीं किया जायेगा। परन्तु मासिक/दैनिक दर पर चयनित L_1 एजेंसी अतिरिक्त किलोमीटर के लिए L_1 के दर पर अतिरिक्त किलोमीटर के भुगतान के योग्य होंगे, जिसका निर्धारण इस निविदा के माध्यम से किया जायेगा।
3. यदि L_1 चयनित एजेंसी कार्य करने से इंकार करते हैं या एकरारनामा अनुरूप कार्य करने में असफल रहते हैं तो विभाग L_2 से L_1 के दर पर एकरारनामा करने हेतु स्वतंत्र होगा तथा L_1 की EMD/Performance security राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

वाहन आपूर्तिकर्ता के दायित्व:-

1. वाहन आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता पूर्ण सेवा प्रदान करेंगे।
2. संविदा के अनुरूप वाहन आपूर्तिकर्ता वाहन एवं चालक की सेवा निगरानी विभाग या उसके पदाधिकारी/कर्मियों को प्रतिदिन अथवा आवश्यकता पड़ने पर निश्चित किये गये समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। 15 मिनट से ज्यादा विलंब होने पर विभाग को अधिकार होगा कि वो अन्य वाहन की सेवा ले लेंगे एवं अन्य वाहन को भुगतान किये गये राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्ता से की जायेगी।
3. वाहन आपूर्तिकर्ता संविदा में लिखित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करेंगे।
4. वाहन आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये गये वाहन का Maintenance एवं Servicing Duty Hours के बाद अथवा अवकाश के दिनों में विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत करेंगे।
5. वाहन आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये गये वाहन को नियत स्थान एवं समय पर ईंधन की टंकी फुल करके भेजेंगे।
6. वाहन के किसी भी ब्रेक डाउन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण की स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता अपने खर्च पर उसी मापदंड का दूसरा वाहन विभाग को उपलब्ध करायेंगे। उक्त स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसा सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था करने में जो खर्च करना पड़ेगा उसकी वसूली वाहन आपूर्तिकर्ता से की जायेगी।
7. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त किये गये संविदा अनुबंध को अंशतः या पूर्णतः किसी अन्य आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंधित करने की छूट नहीं होगी।
8. वाहन आपूर्तिकर्ता केवल Comprehensive Insurance वाले वाहन की ही सेवा प्रदान करेंगे।
9. वाहन आपूर्तिकर्ता/चालक द्वारा लॉग बुक में प्रतिदिन आरंभिक कि०मी०, अंतिम कि०मी०, परिचालित दूरी अंकित करके वाहन का उपयोग करने वाले

पदाधिकारी/कर्मि से हस्ताक्षर तुरन्त प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं करने पर Penal Provision Impose किया जायेगा।

10. वाहन का निबंधन बिहार राज्य में व्यवसायिक वाहन के रूप में होना चाहिए। वाहनों का रोड टैक्स का भुगतान अद्यतन होना चाहिए।
11. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किराये पर दिये जाने वाले वाहन के पास वैध निबंधन प्रमाण पत्र, Comprehensive Insurance third Party and Occupants के साथ PUC Permit एवं अन्य प्रासंगिक लाइसेन्स/ Permit जो DTO एवं अन्य वैधानिक संस्था द्वारा व्यवसायिक परिचालन के लिये आवश्यक हो, होना चाहिए तथा उसका नवीकरण अनुबंध की समाप्ति की तिथि के पूर्व होनी चाहिए।
12. किराये पर दिये जाने वाले वाहन पूर्ण रूप से अच्छी स्थिति में, भीतर तथा बाहर से साफ होनी चाहिए।
13. सभी वाहन आकस्मिक चिकित्सा किट एवं अग्निशमन उपकरण के साथ सुसज्जित होने चाहिए एवं सीट पर तौलिया लगा होना चाहिए।
14. यह सुनिश्चित हो कि वाहन के विद्युत कनेक्शन, सभी लाईट, हॉर्न, मोड़ सूचक लाईट, एयर कंडीशनर एवं वाहन के अन्य उपकरण/सिस्टम अच्छी स्थिति में हो तथा समय-समय पर इसकी जाँच होनी चाहिए जिससे विभाग को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वाहन का ऑडोमीटर अच्छी हालत में हो एवं सील्ड हो।
15. वाहन को विभाग/पदाधिकारी/कर्मि द्वारा बताये गये नियत स्थान पर खड़ा होना चाहिए। यदि वाहन को पेट्रॉल भरवाने, रिपेयरिंग इत्यादि के लिये बाहर ले जाने की जरूरत हो तो सेवा प्राप्तकर्ता को जानकारी में देकर ही ले जाना होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उस समय वाहन सेवा प्राप्तकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं इसके लिये वाहन आपूर्तिकर्ता पर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।
16. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये वाहन का निबंधन RC, Insurance, PUC, चालक के Driving Licence की छायाप्रति विभाग में जमा करना होगा।
17. लॉग बुक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये फारमेट में संधारित करना पड़ेगा।

प्रतिनियुक्त चालक/कर्मि का दायित्व—

वाहन आपूर्तिकर्ता वाहन पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले चालक एवं कर्मि द्वारा संपादित कार्यों के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे—

1. चालक एवं कर्मि अपना कार्य विनम्रतापूर्वक संपादित करेंगे एवं दूसरे कर्मि से भी उनका व्यवहार विनम्रतापूर्वक होगा। ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्त चालक/कर्मि पर संविदा की शर्तों के अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। ऐसी गलती बार-बार दोहराने पर एवं निम्नांकित व्यवहार के कारण सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा।
 - i. कार्यावधि के दौरान चालक/कर्मि का कर्तव्य से इंकार करना यदि, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी या विभाग द्वारा सूचित किया जाता हो।
 - ii. असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना।
2. चालक के पास एक मोबाईल, वैध नम्बर के विभाग/पदाधिकारी कभी भी संपर्क कर सकते हैं।
3. किसी भी कारणवश चालक का मोबाईल नंबर बदली होता है तो इसकी सूचना वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा विभाग को तुरन्त दी जानी होगी।

4. चालक अपनी कार्य अवधि के दौरान हमेशा विभाग/संबंधित पदाधिकारी के संपर्क में बने रहेंगे।
5. प्रतिनियुक्त चालक के पास वाहन चालन का वैध लाईसेन्स होना जरूरी है।
6. चालक किसी भी हालत में शराब पीकर एवं अन्य नशे में धुत्त होकर कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे। यदि ऐसा होता है तो संविदा को रद्द कर विधिसम्मत कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा।
7. विभाग द्वारा यदि प्रतिनियुक्त चालक/कर्मियों के व्यवहार के संबंध में कोई आरोप सूचित किया जाता है तो वाहन आपूर्तिकर्ता इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे एवं इसपर अविलंब समुचित कार्रवाई करेंगे एवं कृत कार्रवाई से विभाग को भी अवगत करावेंगे।
8. चालक एवं वाहन को तुरन्त-तुरन्त बदली नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे किसी होने वाले बदलाव की सूचना पूर्व में ही वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जानी चाहिए। बदली हुई गाड़ी या चालक एकरारनामा के अनुरूप ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में भुगतान तदनुसार कटौती करने का अधिकार विभाग को होगा।

नियमों का अनुपालन एवं कर :-

1. किराया चार्ज में सभी ईंधन खर्च, अनुरक्षण (कल-पूर्जों सहित) एवं चालक व कर्मियों का वेतन, बीमा का प्रीमियम, सड़क टैक्स, टॉल टैक्स आदि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर वाहन पर लगने वाले कर का भुगतान विभाग द्वारा वास्तविक भुगतान रसीद के आधार पर किया जायेगा।
2. वाहन आपूर्तिकर्ता प्रतिनियुक्त वाहन का व्यापक बीमा थर्ड पार्टी असीमित रिस्क के साथ लेगा। विभाग किसी भी दुर्घटना, आम जनता एवं थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेवार नहीं होगा।
3. वाहन आपूर्तिकर्ता थर्ड पार्टी द्वारा किया गया दावा/वाहन दुर्घटना में वाहन पर सवार निगरानी विभाग के पदाधिकारी/कर्मियों को होने वाले नुकसान के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।
4. निगरानी विभाग चालक द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने/अन्य किसी भी नियमों का पालन चालक तथा वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा नहीं किये जाने के लिये जिम्मेवार नहीं होगा। चालक एवं वाहन आपूर्तिकर्ता मोटर वाहन कानून के नियम एवं अधिनियम का पूर्णरूपेण अनुपालन करेंगे तथा वर्तमान एवं भविष्य में आने वाले सभी नियम अधिनियमों का पालन करेंगे। किसी भी त्रुटि के लिये विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
5. वाहन आपूर्तिकर्ता श्रम कानून विशेष कर न्यूनतम गजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, Contract Labour (R&A) Act, Workmen Compensation Act etc. का अनुपालन यथा समय सुनिश्चित करेंगे। वाहन आपूर्तिकर्ता के कर्मियों/चालक निगरानी विभाग के कर्मियों नहीं माने जायेंगे। अतः उपर्युक्त नियमों का पालन करना वाहन आपूर्तिकर्ता की जिम्मेवारी होगी।
6. चालक के द्वारा किसी भी तरह की चोरी, दुर्व्यवहार इत्यादि के लिये वाहन आपूर्तिकर्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
7. संविदा अवधि के दौरान यदि वाहन को आरक्षी/मोटर वाहन अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जब्त किया जाता है या रोक रखा जाता है तो इसकी जिम्मेवारी वाहन आपूर्तिकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा वैकल्पिक वाहन की

व्यवस्था प्रतिनियुक्त वाहन के अनुरूप या इससे उच्च श्रेणी का वाहन निगरानी विभाग को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उपलब्ध कराया जायेगा।

8. निगरानी विभाग द्वारा वाहन को कार्य के लिये प्रतिनियुक्त किये जाने की स्थिति में वाहन पर निगरानी विभाग के कर्मियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को ले जाना प्रतिबंधित होगा। वाहन आपूर्तिकर्ता यात्रियों की सुरक्षा की चालक द्वारा अनदेखी, तेज गति एवं अनियमित वाहन चालन आदि के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
9. विभाग को सूचित किये बिना वाहन आपूर्तिकर्ता विभाग को उपलब्ध कराये गये निबंधन संख्या से इतर वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसा पाये जाने पर कार्यादेश रद्द करते हुए वाहन आपूर्तिकर्ता को काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जा सकती है।
10. वाहन आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये गये वाहन को किसी भी स्थिति में विभाग के निर्देश के बिना किसी अन्य कार्य हेतु प्रयोग नहीं करेंगे। जितने दिन के लिये ऐसा करते पाये जायेंगे उससे दोगुने दिन के लिये Pro&Rata Basis पर मासिक भाड़ा में से दण्ड स्वरूप राशि की कटौती की जायेगी।
11. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा चालक को राज्य मोटर वाहन अधिनियम (अद्यतन संशोधित) के आलोक में समुचित परिधान एवं फोटो पहचान पत्र अपने खर्च पर उपलब्ध कराना होगा।
12. निगरानी विभाग की मांग पर वाहन आपूर्तिकर्ता वाहन Tracking System उपलब्ध करायेंगे एवं यात्रा का रिकॉर्ड/डाटा आगमन से प्रस्थान तक माइलेज के साथ उपलब्ध करायेंगे। माइलेज की गिनती यात्रा आरंभ स्थान से की जायेगी न की किसी अतिरिक्त स्थान से।
13. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के आलोक में ही समर्पित किये जायेंगे। अंकेक्षण, आपत्ति या निर्धारित शर्तों में किसी तरह की अवहेलना आदि के लिये दण्ड के संदर्भ में वांछित कटौती वाहन आपूर्तिकर्ता के विपत्तों से कर ली जायेगी।
14. Octroi, Parking Charges and other statutory levies जो यात्रा के दौरान प्रभावी हो का भुगतान प्रस्तुत बिल/कैस मेमो/मान्य साक्ष्य के आधार पर निगरानी विभाग द्वारा किया जायेगा।

अतिरिक्त कि०मी० का भुगतान :-

1. प्रतिदिन यात्रा की दूरी की गणना यात्रा आरंभ के स्थान से की जायेगी। यात्रा के लिये गैरेज से या गाड़ी को रात्रि में जहाँ रखा जाता है वहाँ से यात्रा आरंभ किया जाना नहीं माना जायेगा।
2. प्रतिदिन नियत समय पर पदाधिकारी/कर्मियों जब वाहन को कार्यालय कार्य के लिये व्यवहार करना शुरू करेंगे उस समय का कि०मी० संख्या लॉग बुक में दर्ज करेंगे एवं शाम को कार्यालय कार्य समाप्त होने के उपरान्त पुनः कि०मी० संख्या लॉग बुक में दर्ज करके संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों हस्ताक्षर करेंगे।
3. निगरानी विभाग द्वारा प्रतिमाह भुगतान किये जाने वाले राशि में वाहन आपूर्तिकर्ता को 1500 कि०मी० तक के परिचालन के लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। 1500 कि०मी० से अधिक परिचालन होने पर अतिरिक्त कि०मी० का प्रति कि०मी० के दर से अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।
4. निगरानी विभाग द्वारा दैनिक दर पर चलने वाले वाहनों हेतु भुगतेय राशि में वाहन आपूर्तिकर्ता को 200 कि०मी० तक के परिचालन के लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। 200 कि०मी० से अधिक परिचालन होने पर अतिरिक्त कि०मी० का प्रति कि०मी० की निर्धारित दर से अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।

5. वाहन आपूर्तिकर्ता सप्ताहिक अवकाश एवं राजकीय अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता पड़ने पर एवं सूचित किये जाने पर वाहन को परिचालित करने हेतु चालक की वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा किसी अन्य माध्यम से वाहन की व्यवस्था की जायेगी एवं ऐसा करने पर जो खर्च आयेगा उस राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्ता को दिये जाने वाले मासिक भुगतान की राशि से की जायेगी ।
6. मासिक भुगतान की राशि में से नियमानुसार GST, TDS, Income Tax-TDS एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित करों की विहित दरों से कटौती की जायेगी ।

ह0/—

उप सचिव,
निगरानी विभाग, बिहार, पटना ।

भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा का प्रपत्र—A

वित्तीय निविदा का प्रारूप वाहन की मासिक दर (ईंधन एवं चालक सहित)			
क्रमांक	वाहन का विवरण	1500 कि०मी० तक का दर प्रति माह (Without GST)	1500 कि०मी० के बाद प्रति कि०मी० का दर (Without GST)
1	इनोवा / इनोवा क्रिस्टा	@RS.....	
2	स्कॉर्पियो	@RS.....	

निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर

निविदादाता का नाम

भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा का प्रपत्र—B

वित्तीय निविदा का प्रारूप वाहन की दैनिक दर (ईंधन एवं चालक सहित)			
क्रमांक	वाहन का विवरण	200 कि०मी० तक का दर प्रतिदिन (Without GST)	200 कि०मी० के बाद प्रति कि०मी० का दर (Without GST)
1	इनोवा / इनोवा क्रिस्टा	@RS.....	
2	स्कॉर्पियो	@RS.....	

प्रति रात्रि अवस्थान (Night Halt) दर @RS.....

निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर

निविदादाता का नाम

तकनीकी निविदा के लिए चेक लिस्ट		
1	2	3
1	EMD का विवरण :— राशि :— ड्राफ्ट संख्या :— बैंक का नाम :—	
2	पैन कार्ड की छायाप्रति	
3	G.S.T. निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति	
4	काली सूची में दर्ज नहीं होने एवं Debar नहीं किये जाने संबंधी नोटराइज्ड एफीडेवीट	
5	वाहन का निबंधन फर्म/निविदादाता के नाम से है अथवा नहीं (स्व-अभिप्रमाणित प्रति)	
6	फर्म/संस्थान ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0सी0 के अंतर्गत निबंधित होने संबंधी कागजात	
7	निविदादाता को न्यूनतम तीन वर्ष तक केन्द्र/राज्य सरकार/अर्द्ध सरकारी संस्थान/निगम आदि में समान प्रकृति का कार्य अनुभव।	
8	निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करने संबंधी स्व-घोषणा पत्र	
9	सभी पृष्ठों पर संस्थान का मुहर एवं हस्ताक्षर	

